Form-III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला-चूरू

रतनलाल बनाम गणेशमल

किस्म मुकदमा नंबरी फौजदारी (परिवाद) प्रकरण सं. 536/2019 (सी.आई.एस. 605/2019)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.11.2022	परिवादी रतनलाल मय अधिवक्ता श्री पवन सोनी उप.। अभियुक्त गणेशमल अनुपस्थित। अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट अभियुक्त के घर पर नहीं मिलने तथा पूछताछ करने पर बाहर गए हुए होने की रिपोर्ट के साथ लौटा है। पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व में अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट अभियुक्त के घर बंद मिलने तथा घर पर नहीं मिलने व पड़ौसी द्वारा कई दिनों से अभियुक्त के नहीं आने की रिपोर्टों के साथ पत्रावली पर है। अभियुक्त को जारी जमानती वारंट व सम्मन अभियुक्त स्वयं पर बाद तामील पत्रावली पर है। इससे यह दर्शित है कि प्रकरण की अभियुक्त को जानकारी है, लेकिन अभियुक्त जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रही है। अभियुक्त गिरफ्तारी के भय से रूहपोश हो चुका है। निकट भविष्य में अभियुक्त के मिलने की संभावना नहीं है , इसलिए अभियुक्त गणेशमल पुत्र भंवरलाल , निवासी-वार्ड नं.1, रामनगर बास, हरिराम जी मंदिर के पास , कस्बा-सरदारशहर, जिला-चूरू को प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो। धारा 82, 83 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध पृथक से खोली जावे। परिवादी रतनलाल ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया , जो शामिल पत्रावली हो। परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गए। अभियुक्त के मफरूर होने से इस गवाह से जिरह करने का अवसर समाप्त किया गया। अधिवक्ता परिवादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया । अतः साक्ष्य परिवादी बंद की जाती है। प्रकरण मफरूरी में फैसल शुमार किया जा रहा है , इसलिए पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे, इस आशय का नोट पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफतर हो। (विजय प्रताप गोस्वामी) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला-चूरू	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह्काम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए